कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन(म0प्र0)

//आ दे श//

क्रमांक–क्यू/2020 उज्जैन, दिनांक–27.04.2020

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक–Reg(IT)(SA)/2020/Q Jabalpur, Dated 20.04.2020 के अनुसार Covid 19 के संक्रमण काल में लागू लॉकडाउन अवधि में जिला न्यायालय/तहसील न्यायालयों में अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इस न्यायिक जिला स्थापना पर, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र/आदेश दिनांक क्यू/2532 के अनुसार अत्यावश्यक सत्र संबंधी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है। इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 20.04.2020 के परिपालन में निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं:–

वर्तमान में जिला न्यायालय, उज्जैन में सत्र संबंधी अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा की जा रही है। अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिभूति आवेदन पत्र दिनांक 09.04.2020 से ई मेल या वाट्सएप के माध्यम से न्यायालय के कर्मचारियों को भेजे जा रहे है, जिन पर डायरी या प्रकरण प्रतिवेदन सहित मंगाये जा रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जा रही है।

दिनांक–27.04.2020 से जिला न्यायालय, उज्जैन में सुनवाई हेतु प्रस्तुत होने वाले प्रतिभूति आवेदन पत्र जिला न्यायालय, उज्जैन की ई मेल आई dcourtujj-mp@nic.in पर पीडीएफ फाईल में निर्धारित प्रपत्रों सहित प्रेषित किये जावेंगे।

प्रत्येक कार्य दिवस में अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र प्रतिदिन सुबह 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के बीच प्रस्तुत किये जावेंगे। उसके उपरांत प्राप्त कोई आवेदन–पत्र मान्य नहीं किये जावेंगे तथा आवेदन पत्रों में यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि किन परिस्थितियों में आवेदन–पत्र किन परिस्थितियों में अत्यावश्यक प्रकृति का है।

जिला न्यायालय, उज्जैन में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रों में पक्षकार/अधिवक्ता द्वारा अपना नाम, मोबाइल फोन नंबर (जिसमें Vidyo Mobile app डाउनलोड हो) एवं ई–मेल आई.डी. आवश्यक रूप से उल्लेखित किये जावेंगे।

जिला न्यायालय, उज्जैन में प्रस्तुत होने वाले आवेदन–पत्रों की जांच जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश के निर्देशन में नियुक्त वरिष्ठ तृतीय श्रेणी कर्मचारी द्वारा की जावेगी।

ऐसे आवेदन–पत्र जिन्हे अत्यावश्यक प्रकृति का नहीं माना गया है, उनके संबंध में संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार को इ मेल के माध्यम से "Application not urgent, so not taken on board" की सूचना भेजी जावेगी एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना प्रस्तुत अथवा अपूर्ण अभिवचनों/दस्तावेजों के प्रस्तुत आवेदन–पत्रों को "Incomplete, so not taken on board" की सूचना प्रेषित की जावेगी।

जिला न्यायाधीश द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में एक वरिष्ठ तृतीय श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जावेगी, जो सुनवाई हेतु उपयुक्त माने गये आवेदन पत्रों को पंजी/सी.आई.एस. में दर्ज किया जावेगा।

न्यायालय द्वारा संबधित थाना प्रभारी से केस डायरी की मांग की जावेगी, जो थाना प्रभारी द्वारा पीडीएफ फार्मेट में न्यायालय के ई मेल आईडी पर प्रेषित की जावेगी अन्यथा डायरी न्यायालय में प्रस्तुत की जावेगी।

प्रतिभूति आवेदन–पत्र का परिणाम सी.आई.एस. साफ्टवेयर में अपलोड करे। यदि किसी कारणवश अपलोड नहीं हो पाता है, तो संबंधित अधिवक्ता को सूचित किया जावे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अधिकतम उपयोग करने हेतु जिला न्यायालय में सत्र संबंधी मामलों की सुनवाई हेतु प्रथम तल पर रूम नंबर एफ–7 रिमोट पाईन्ट बनाया गया है,

भविष्य मे प्रकरणो की संख्या बढने पर अतिरिक्त रिमोट पाईन्ट बनाये जा सकेंगे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अधिकतम उपयोग करने हेतु जिला न्यायालय मे रिमांड संबंधी मामलो की सुनवाई हेतु द्वितीय तल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम को रिमोट पाईन्ट बनाया गया है। भविष्य मे प्रकरणो की संख्या बढने पर अतिरिक्त रिमोट पाईन्ट बनाये जा सकेंगे।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि वे ऐसे पैरालीगल वालंटियर जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जानकारी प्रदान कर सकते है, तकनीकी रूप से दक्ष है, उनकी सेवाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु ली जावे।

रिमाण्ड के दौरान निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के लिए जिन पैनल अधिवक्ताओ की सेवाएं ली जाती है, उनमे ऐसे अधिवक्ताओ को वरीयता दी जाएगी, जो Vidyo Mobile app के माध्यम से कार्यवाही मे भाग लेने के लिए सहमत हो। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे पैनल अधिवक्ताओ के नाम एवं मोबाइल नम्बर की सूची संबंधित न्यायालय को समुचित समय पूर्व उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

अधिवक्तागण स्वयं अपने कार्यालय से Vidyo Mobile app के माध्यम से अथवा न्यायालय परिसर में इस हेतु बनाये गये रिमोट प्वाइंट से कार्यवाही मे भाग ले सकते है और Vidyo Mobile app के माध्यम से ही उन्हे न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

यदि किसी कारणवश अधिवक्तागण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तर्क करने मे अपने आप को असमर्थ पाते है अथवा वह यू आर एल लिंक पर कार्य नहीं कर पाते है, उस स्थिति मे वाट्सएप कालिंग एप का उपयोग किया जा सकता है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अधिकतम उपयोग करने हेतु प्रत्येक तहसील न्यायालय मे एक रिमोट पाईन्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु बनाया जावे, जिसकी सूचना जिला न्यायाधीश, उज्जैन को प्रेषित की जावे।

इसी प्रकार तहसील न्यायालय मे प्रस्तुत होने वाले प्रतिभूति आवेदन पत्र संबंधित तहसील के ई मेल आई पर पीडीएफ फाईल में प्रस्तुत किये जावेंगे। तहसील न्यायालयो की ई मेल आईडी निम्नानुसार है:-

बडनगर–badnagar@mphc.in / talwanabadnagar@gmail.com

तराना–tarana@mphc.in / najarattarana@gmail.com

खाचरौद–khachrod@mphc.in / talwanakhachrod@gmail.com

महिदपुर–mahidpur@mphc.in / talwanamahidpur@gmail.com

नागदा–nagda@mphc.in / talwananagda@gmail.com

प्रत्येक तहसील न्यायालय की ई मेल आईडी पर ई–मेल चैक करने हेतु तहसील स्थापना पर पदस्थ वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा किसी तृतीय श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जावेगी, जो अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष ई मेल के माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रतिभूति आवेदन पत्रो को उनके समक्ष रखेगे।

तहसील न्यायालय के वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश ऐसे आवेदन–पत्र जिन्हे अत्यावश्यक प्रकृति का नही माना गया है, उनके संबंध में संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार को ई मेल के माध्यम से "Application not urgent, so not taken on board" की सूचना भेजी जा सकती है एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना प्रस्तुत अथवा अपूर्ण अभिवचनों/दस्तावेजों के प्रस्तुत आवेदन–पत्रों को "Incomplete, so not taken on board" की सूचना प्रेषित की जा सकती है।

तहसील न्यायालय में भी प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रो में पक्षकार/अधिवक्ता द्वारा अपना नाम, मोबाइल फोन नंबर (जिसमे Vidyo Mobile app डाउनलोड हो) एवं ई–मेल आई.डी. आवश्यक रूप से उल्लेखित किये जावेगा।

जो आवेदन पत्र सुनवाई हेतु उपयुक्त माने गये है, उनके लिये संबंधित अभिलेख/डायरी बुलाई जाकर आगामी दिवस पर सुनवाई हेतु नियत किये जा सकते हैं।

न्यायालय द्वारा संबंधित थाना प्रभारी से केस डायरी की मांग की जावेगी, जो थाना प्रभारी द्वारा पीडीएफ फार्मेट में न्यायालय के ई मेल आईडी पर प्रेषित की जावेगी अन्यथा डायरी न्यायालय में प्रस्तुत की जावेगी।

प्रतिभूति आवेदन–पत्र का परिणाम सी.आई.एस. साफ्टवेयर में अपलोड करें। यदि किसी कारणवश अपलोड नहीं हो पाता है, तो संबंधित अधिवक्ता को सूचित किया जावे।

(श्यामकांत कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

उज्जैन, दिनांक–27.04.2020

पृष्ठां0 कमांक–क्यू–1/2020

प्रतिलिपि–

1. समस्त न्यायाधीशगण,
2. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन
3. समस्त अध्यक्ष महोदय,
   अधिवक्ता संघ,
   उज्जैन/तराना/महिदपुर/बड़नगर/नागदा/खाचरौद,
   जिला उज्जैन (म0प्र0)
4. जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन
5. पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन

(श्यामकांत कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)